न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06 मथुरा

सत्र वाद संख्या–147/2026

राज्य बनाम देवी सिंह आदि

<u>दिनांक–23.04.2026</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 9 क पर उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता उन्मोचन प्रार्थनापत्र 9 क इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त घटना दिनांक 18.06.2024 की दर्शायी जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिर्पोट अति विलम्ब से 23.06.2024 को दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा सम्पूर्ण विवेचना में विशिष्ट रूप से किस प्रार्थी पर क्या हथियार था और किस प्रार्थी ने किस विशिष्ट चुटैल को चोटें पहुंचायी, वर्णित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकार की न तो कोई घटना घटी न किसी ने देखी और गवाहान फर्जी बनाये गये है। यद्यपि उपरोक्त घटना बस्ती की दर्शायी जाती है जिसके आस पास मकानात भी हैं। जिसमें घटना का साक्षी उपलब्ध नहीं है जिससे भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त मामला कदापि धारा 308 आई०पी०सी० की हद को नहीं पहुचंता है, क्योंकि चिकित्सीय परीक्षण में चुटैल बृजलाल के कोई फैक्चर नहीं पाया गया, जिसे बाद में सी०टी०स्कैन हेतु सन्दर्भित किया गया, जिसकी आख्या के अनुसार फैक्चर को संदिग्ध करार दिया गया। दूसरे चुटैल शिव सिंह को भी आठवीं पसली का फ्रेक्चर दर्शाया जाता है जो किसी भी रूप में प्राण घातक नहीं हो सकता। चुटैलों की चोटों के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय चिकित्सीय परीक्षण में जाहिर नहीं की है कि किसी चुटैल के प्राण घातक चोट थी या नहीं। उपरोक्त मामला अधिकतम धारा 325 आई०पी०सी० की हद को पहुंचता है। चुटैलों की चोटें फर्जी ढंग से तैयार करायी गयीं, इसलिये चिकित्सीय राये प्रथक–प्रथक हैं।वास्तव में मुल्जिमान ने प्रार्थी पक्ष के साथ मारपीट की थी, जिसमें प्रार्थी पक्ष के तीन लोगों कमशः सुधा, पीतम और देवी सिंह के चोटें आयीं, जिनके चिकित्सीय परीक्षण पुलिस द्वारा ही कराये गये जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार कम गम्भीरता वाली धाराओं से मुकदमें का विचारण तय किया जाना चाहिये न कि अधिक गम्भीर धाराओं के अनुसार। अतः उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगण देवी सिंह, यादराम, चेतन, सीताराम, पीतम, रमन, नारायन, श्रीमती भगवती, श्रीमती समयवती व श्रीमती सुधा द्वारा स्वयं को विशेषकर धारा 308 भा०दं०सं० से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रि० द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि विवेचक द्वारा विवेचना में अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए, उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है तत्पश्चात विचारण न्यायायल द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया उन्मोचन का पर्याप्त आधार नहीं है तथा प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से यह पाया जाता है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा श्री प्रथम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी के पिता ब्रजलाल पुत्र हीरालाल एवं भाई शिवसिंह पुत्र ब्रजलाल दिनांक 18.06.2024 को समय करीब 7:30 बजे सुबह अपने खेत पर हैरो हल लेने गये थे, तभी हमारे खेत के पास बने अपने मकान से देवी सिंह पुत्र हीरालाल, यादराम पुत्र हीरालाल, चेतन पुत्र यादराम, सीताराम पुत्र यादराम, पीतम पुत्र देवी सिह, रमन पुत्र देवी सिंह, नारयन पुत्र देवी सिंह, श्रीमती भगवती पत्नी देवी सिंह, समयवती पत्नी यादराम, सुधा पानी पीतम ने एक राय होकर लाठी–फरसा लेकर आये और प्रार्थी के पिता ब्रजलाल एवं भाई शिव सिंह को घेर लिया, तभी सभी ने लाठी व फरसा से वार किये, जिससे पिता ब्रजलाल एवं भाई शिव सिंह के गंभीर चोटें आयी है। मौके पर पहुंचे प्रार्थी एवं अमर सिंह पुत्र हीरालाल व भमीरी पत्नी अमरसिंह ने घटना देखी तथा बचाया। प्रार्थी के पिता ब्रजलाल एवं भाई शिव सिंह गंभीर हालत में महर्षि दयानन्द जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती हैं। दोनों की हालत गंभीर है। वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण देवी सिंह, यादराम, चेतन, सीताराम, पीतम, रमन, नारायन, श्रीमती भगवती, श्रीमती समयवती व श्रीमती सुधा के विरूद्ध मु०अ०सं०–368/2024 अंतर्गत धारा–147, 148, 323, 324 भा०दं०सं० थाना कोसीकलां, जिला मथुरा पर पंजीकृत हुआ।

उपरोक्त प्राथमिकी के उपरान्त विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं अन्य चश्मदीद व स्वतन्त्र गवाहान के बयान अंकित किये तथा मेडिकल प्रपत्रों व अन्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर बाद

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.23 16:01:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवेचना अभियुक्तगण देवी सिंह, यादराम, चेतन, सीताराम, पीतम, रमन, नारायन, श्रीमती भगवती, समयवती व सुधा के विरूद्ध विचारण हेतु अन्तर्गत धारा – 147,148,149,323,324,308,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध चुटैल ब्रजलाल व चुटैल शिव सिंह की आघात आख्या में चोटहिल के चोटें आना दर्शित की गयी हैं, जो धारदार हथियार से आना दर्शित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक – 06.03.2025 को मामले का प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रसंज्ञान के समय उपलब्ध साक्ष्यों से भिन्न मामले के वर्तमान स्तर पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का आधार दर्शित करता हो।

यहां यह कहना समीचीन होगा कि अभियुक्तगण ने उन्मोचन हेतु जो आधार लिये गये हैं यथा एफ०आई०आर० विलम्ब से होना, गवाहान द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति घटनास्थल पर न होना, चुटैल की चोटें फर्जी तैयार करना, फर्जी मुकदमा दायर किया जाना आदि , इनका निस्तारण पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त, अंतिम निर्णय के स्तर पर ही किया जा सकता है। इस स्तर पर मात्र यह देखा जाना होता है कि विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं? विवेचक के द्वारा आरोप विरचन किये जाने के संबंध में जो पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जो कि प्रथमदृष्टया मामले की ओर इंगित करती हो वह संकलित की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था A.I.R.1970 Sc. 1015 राजपाल बनाम जय सिह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि न्यायालय को इस समय केवल इतना ही देखना है कि क्या उन गवाहों के साक्ष्य पर उचित विश्वास करके यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है या नही, यह नही देखना है कि साक्ष्य अपराधियों को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है या नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य विधि व्यवस्था भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सांवत 1979 S.C.C.(Cri.)609 में मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा है कि इसी समय (आरोप के स्तर पर) तक चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से एक पक्षीय साक्ष्य होती है,और किसी प्रकार की जिरह नहीं होती है,इसलिए कोई बात ऐसी नहीं होगी,जिससे कहा जा सके कि पेश किये गये गवाह विश्वसनीय नहीं है । इसलिए अब केवल यह देखना रहता है कि क्या कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध है या नहीं,और यदि है तो क्या उससे आरोप लगाया जा सकता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147,148,149,323,324,308,504,506 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप लगाये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 9क में दिये गये आधारों पर अभियुक्तगण उन्मोचित किये जाने का पर्याप्त आधार नही है । अतः अभियुक्तगण का उन्मोचन आवेदन निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 9क निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विरचन आरोप हेतु दिनांक------- को पेश हो। अभियुक्तगण नियत तिथि पर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या– 06, मथुरा